.....

क्र. 3164 / शुल्क / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग / 2026 दिनांक – 03.09.2026

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय– **शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026–27 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।**

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2026–27**में संचालित पाठ्यक्रमों हेतुविश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक **01.09.2026 एवं 02.09.2026**में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 205वीं सभा बैठक दिनांक **03.09.2026** में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026–27 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	BUSINESS SCHOOL	BBA	15,500	13175	2325	15500
		MBA(FT)	54,500	46325	8175	54500
		MBA(Logistics)	54,500	46325	8175	54500
2	ARTS	BA & BA JOURNALISM & MASS COMMUNICATION	10,500	8925	1575	10500
		MA	16,500	14025	2475	16500
		MSW	18,000	15300	2700	18000
		MJ	20,000	17000	3000	20000

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026–27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

3	MEDICAL	MBBS	20,00,000	1515295	267405	1782700
		MD/MS CLINICAL	21,50,000	1598425	282075	1880500
		MD / MS (Dermatology, Venereology & Leprosy / Radio-diagnosis)	25,00,000	1883685	332415	2216100
		MD / MS (Obstetrics & Gynaecology / General Medicine)	23,00,000	1693625	298875	1992500
		MD / MS (Paediatrics / Orthopaedics / Ophthalmology / Otorhinolaryngology / Anaesthesiology)	22,50,000	1664215	293685	1957900
		MD/MS NON CLINICAL	1,15,000	97750	17250	115000
		MD PATHOLOGY	10,50,000	769250	135750	905000
4	DENTAL	BDS	2,40,000	176715	31185	207900
		MDS	6,69,600	497845	87855	585700
5	ENGINEERING	DIPLOMA ENG	44,000	37400	6600	44000
		BE	57,000	48450	8550	57000
		M. TECH	71,000	60350	10650	71000
6	PHARMACY	D PHARMA	1,25,000	90525	15975	106500
		B PHARMA	80,000	57375	10125	67500
		M PHARMA	80,000	59925	10575	70500
8	COMPUTER SCIENCE	MCA	25,200	21845	3855	25700
		DCA	11,000	9350	1650	11000
		BCA	11,000	9520	1680	11200
		PGDCA	16,500	14025	2475	16500
9	AGRICULTURE	DIPLOMA AGRICULTURE	23,500	17850	3150	21000
		BSC (AGRICULTURE)	72,500	53210	9390	62600
		MSC (AGRICULTURE)	1,00,000	61625	10875	72500
10	SCIENCE	BSC	16,500	14025	2475	16500
		MSC	21,500	18275	3225	21500
12	COMMERCE	B. Com	11,000	9350	1650	11000
		M. Com.	20,000	17000	3000	20000
13	LIBRARY SCIENCE	B LIB	14,000	10965	1935	12900
		M LIB	16,000	12495	2205	14700

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026–27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

14	LAW	LLB	37,500	31875	5625	37500
		BALLB(Hons)	37,500	31875	5625	37500
15	HOMEOPATHY	BHMS	1,81,000	129455	22845	152300
		MD HOMEO	3,95,000	281520	49680	331200
16	YOGA	B. Sc	26,000	22100	3900	26000
		M. Sc	20,000	17000	3000	20000
		PG Diploma	8,000	6800	1200	8000
17	FASHION DESIGNING	B. Sc	25,000	21250	3750	25000
		M. Sc	18,500	15725	2775	18500
		Diploma	15,000	12750	2250	15000
		BA Animation & Graphic	18,500	15725	2775	18500
18	AYURVEDIC	BAMS	3,58,000	277865	49035	326900

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकडों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद,एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा ।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नही होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नही है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026–27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2026–27 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

सचिव 03/09/2026
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक 3165/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2026 **भोपाल, दिनांक 03.09.2026**

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलगुरु, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल